



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



19 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 29 राँची, मंगलवार,

9 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-13/2023-24953 (HRMS)--श्री राकेश सहाय, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, कोटि क्रमांक-485/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-74/स्था0, दिनांक 02.02.2023 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

(i) दिनांक 13.10.2022 को समीक्षात्मक बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के Rejected Transaction की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि प्रखण्ड-बरवाडीह में कुल-396 Rejected Transaction, Re Generation हेतु लंबित है, जिसे शून्य करने का निदेश दिया गया था, परन्तु इनके द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं लिया गया, जो दिनांक 07.12.2022 तक बढ़कर कुल 464 हो गया एवं कुल Rejected Transaction की मात्र 39% ही सफलतापूर्वक Regenerate किया गया है ।

(ii) दिनांक 07.12.2022 को मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं उसके पूर्व की 711 योजनाओं को लंबित रखा गया है। सभी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिये गये निदेश के बावजूद भी योजना पूर्ण करने हेतु प्रगति लाने में कोई रुचि नहीं ली गई।

(iii) मनरेगा अन्तर्गत श्रमिकों को कार्य के विरुद्ध 15 दिन के अंदर भुगतान करने का प्रावधान है, परन्तु इनके द्वारा दिनांक 07.12.2022 तक 09 श्रमिकों को विलम्ब से भुगतान किया गया है, जो कुल भुगतान 0.12 प्रतिशत है। यह कृत्य मनरेगा प्रावधान का उल्लंघन है।

(iv) मनरेगा अन्तर्गत श्रमिकों को 100 दिनों का कार्य उपलब्ध कराने का प्रावधान है, परन्तु इनके द्वारा दिनांक 07.12.2022 तक मात्र 33 परिवारों को ही 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराया गया है, जो इनके कार्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

(v) मनरेगा अन्तर्गत वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत बन रहे खेल मैदान में एक भी योजना पूर्ण नहीं कराया गया है।

(vi) अपने वरीय एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों/ स्पष्टीकरण/ कारण पृच्छा का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया है।

(vii) श्री सहाय के उक्त कृत्य से उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1490, दिनांक 13.03.2023 द्वारा श्री सहाय से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण मामले के समीक्षोपरांत श्री सहाय के विरुद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-3535, दिनांक 21.06.2023 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है।

श्री सहाय द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के रूप में उनके पत्रांक-1250, दिनांक 16.08.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित है। समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

(i) Rejected Transaction का शून्य नहीं होने का कारण तकनीकी समस्या थी, क्योंकि मनरेगा पोर्टल में पीओ लॉगिन में तकनीकी कारण से Readvice जेनरेट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण 2013-14 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक Rejected Transaction का Regeneration नहीं हो पा रहा था। इस संदर्भ में उप विकास आयुक्त और जिला के डीआरडीए के मनरेगा सेल को कई बार इस समस्या से जिला में होने वाली मीटिंग में अवगत कराया गया था। इस संबंध में उपायुक्त, लातेहार एवं उप विकास आयुक्त, लातेहार को क्रमशः पत्रांक 221 एवं 222 दिनांक-20.12.2022, पत्रांक-207 दिनांक-04.01.2023 को पत्राचार का Rejected Transaction के Regeneration में आ रही तकनीकी समस्या को दूर करने का अनुरोध किया गया था। अंततः 2013-14 से 2021-22 तक के Rejected Transaction को 28 मार्च 2023 को मात्र 47 कर दिया गया, जिसमें से 16 दूसरे प्रखंड सरयू का भी शामिल है। अतः Rejected Transaction का Regeneration करने में इनके द्वारा ध्यान नहीं देने का आरोप पूरी तरह गलत और निराधार है। यह तकनीकी समस्या के कारण था।

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके पूर्व बरवाडीह प्रखंड में 9325 पुरानी योजनाएं लंबित थी और दिनांक 07.12.2022 को जिस दिन आरोप गठित किया गया, उस समय भी 8564 पुरानी योजनाएं बंद की जा चुकी थी। अतः यह दिनांक 31.03.2023 को घटकर सिर्फ 11 रह गया है। अतः पुरानी योजनाओं को बंद करने में लापरवाही बरतने का आरोप पूरी तरह निराधार है।

(iii) इनके बरवाडीह प्रखंड में बतौर प्रखंड विकास पदाधिकारी 3 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक बार मात्र एक योजना में Delay Payment हुआ। वह भी मनरेगा के कर्मियों की लापरवाही के कारण हुआ था, जिसमें इनकी कोई भूमिका नहीं थी। इनके कार्यालय के पत्रांक-209, दिनांक-07.09.22 को इस संबंध में कड़ी चेतावनी के साथ स्पष्टीकरण संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को निर्गत किया था। पुनः Delay Payment की पुनरावृत्ति नहीं हुई।

(iv) 100 दिन का कार्य मात्र 33 परिवारों को देने के कारण जो आरोप गठित किया गया है, वह दिनांक-12.10.2022 की रिपोर्ट पर आधारित है। दिनांक-31.03.2023 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कुल-177 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मनरेगा में उपलब्ध कराया गया। अतः 100 दिनों का रोजगार कम परिवारों को उपलब्ध कराने का आरोप गलत एवं झूठा है। जहाँ वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य के विपरीत 78 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन किया गया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 91% मानव दिवस का सृजन किया गया।

(v) वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान वर्तमान में 16 की संख्या पूर्ण है। यह सही है कि प्रारम्भ में इसके Completion में बाधा आ रही थी, क्योंकि इस योजना के तहत बनने वाले Changing Room एवं शौचालय का निर्माण राज्य की अन्य योजनाओं के साथ अभिषरण द्वारा किया जा रहा था। 15वें वित्त के जीपीडीपी के Annual Plan में योजना के रूप में पोटो हो खेल मैदान चयनित नहीं था। फलतः इस योजना की प्रविष्टि नहीं हो पायी और पोटो हो खेल मैदान योजना को पूर्ण करने में परेशानी हुई। अब यह योजना 16 की संख्या में पूर्ण है।

(vi) कार्य की अधिकता के कारण स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा का जवाब नहीं दे पाए। यह जानबूझकर नहीं था। ये दो-दो प्रधान सहायक के कर्तव्यहीनता का शिकार रहे हैं और जिले के उपायुक्त को इन दोनों की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा इनके द्वारा की गयी थी।

(vii) ये शत प्रतिशत अपने कार्य में ईमानदार हैं। मनरेगा में लगभग 40 से ज्यादा इंडेक्स रहते हैं और मात्र कुछ में पीछे रहना लापरवाही का प्रमाण नहीं हो सकता है। यदि ये मनरेगा में लापरवाह रहते हैं तो सभी इंडेक्स में पिछड़ना चाहिए था। दिनांक 31.03.2023 के मनरेगा रिपोर्ट अवलोकन किया जा सकता है। मनरेगा की योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन पंचायत के जिम्मे है। यह मांग आधारित योजना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका पर्यवेक्षण करते हैं। यह लगातार मनरेगा कर्मियों के साथ प्रखंड कार्यालय में बैठकर योजनाओं की समीक्षा करते रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे हैं।

श्री सहाय के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) प्रथम आरोप प्रखण्ड- बरवाडीह में कुल-396 Rejected Transaction, Re Generation हेतु लंबित रहने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि सभी मामले काफी समय से लंबित थे, परन्तु इनके द्वारा तकनीकी त्रुटि को दूर करने हेतु दिसम्बर, 2022 में उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा गया है। तत्पश्चात् तकनीकी त्रुटि दूर होने पर इसे कम कर 47 किया गया है। स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा ससमय निष्पादन हेतु रुचि नहीं ली गई है।

(ii) द्वितीय आरोप दिनांक 07.12.2022 तक वर्ष 2019-20 एवं उसके पूर्व की 711 योजनाओं को लंबित रखने के संबंध में श्री सहाय द्वारा प्रतिवेदित है कि आरोप गठन की तिथि दिनांक 07.12.2022 तक 8564 पुरानी योजनाएँ बंद की जा चुकी थी एवं दिनांक 31.03.2023

तक यह घटकर सिर्फ 11 रह गया था। उक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि इनके द्वारा दिनांक 07.12.2022 को पुरानी 711 योजनाएँ लंबित रहने से इंकार नहीं किया गया है।

(iii) तृतीय आरोप Delay Payment के संबंध में भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि सिर्फ एक बार मात्र एक योजना में 9 श्रमिकों का Delay Payment हुआ, जो आरोप की पुष्टि करती है।

(iv) चतुर्थ आरोप दिनांक 07.12.2022 तक मात्र 33 परिवारों को ही 100 दिन के कार्य उपलब्ध कराने के संबंध में प्रतिवेदित है कि यह दिनांक 12.10.2022 की रिपोर्ट पर आधारित है। दिनांक-31.03.2023 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कुल-177 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मनरेगा में उपलब्ध कराया गया।

(v) पंचम आरोप के संबंध में प्रतिवेदित है कि वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान वर्तमान में 16 की संख्या पूर्ण है। स्पष्ट है कि आरोप गठन के समय पूर्ण योजना शून्य रहने के संबंध में इंकार नहीं किया गया है।

(vi) छठे आरोप के संबंध में प्रतिवेदित है कि कार्य अधिकता के कारण किसी स्पष्टीकरण या कारण पृच्छा का जवाब वे नहीं दे पाये हो, यह जानबूझकर नहीं था। यह स्वीकार्य नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री राकेश सहाय, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राकेश सहाय, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAKESH SAHAY JHK/JAS/307	श्री राकेश सहाय, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
